प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता) बुक नं0

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 23/22 दिनांक 28/1/22

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम.................भा.द.स.........................धारायें..............384.....................
(iii) अधिनियम.. धारायें...
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.......................653 समय ....12-15 P.M.
(ख) अपराध घटने का दिन गुरूवार दिनांक :– 27.01.2022 समय ....01.15 पीएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– तहसील कार्यालय लाडनू जिला नागौर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से पश्चिम दिशा में करीब 85 किलोमीटर
(ब) पता :– तहसील कार्यालय लाडनू जिला नागौर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री गणेशाराम
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री छोटूराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 37 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी गांव सुनारी पुलिस थाना लाडनू जिला नागौर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री मदनलाल पुत्र श्री पुरखाराम, जाति रैगर, उम्र–43 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 29 कस्बा लाडनू जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का सुनारी तहसील लाडनू जिला नागौर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..............................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 8,000 रूपये.......................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–
दिनांक 14.01.2022 को परिवादी गणेशाराम ने अपने मोबाईल नम्बर 9772738949 से श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस एसीबी सीकर को कॉल कर पटवार हल्का सुनारी के पटवारी श्री मदललाल द्वारा रिश्वत मांगने तथा पटवारी को रिश्वत नहीं देकर उसे पकडवाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी के चाहेनुसार दिनांक 17.01.2022 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय के श्री रामनिवास कानि. को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी से उसके गांव सुनारी में सम्पर्क कर परिवादी को टेप चालू व बन्द करने की विधि समाने तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने की हिदायत देकर रवाना किया गया।

कार्यवाही पुलिस

17.01.2022
7.00 पीएम श्री रामनिवास कानि. ने उप अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री गणेशाराम द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि" मेरे गांव सुनारी तहसील लाडनू जिला

नागौर में मेरे पिताजी के नाम कृषि भूमि खसरा संख्या पुराना 127/477 थी। मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात मेरे तथा मेरे भाई, बहिनों तथा माताजी के नाम विरासत का नामान्तरण दर्ज किया गया जिसका खसरा संख्या 745/127 है तथा 1/6 के बराबर हिस्सेदार है। उक्त खसरा में से हम सभी लोगों ने श्री सांवरमल पुत्र श्री जय किशन जाति जांगिड निवासी सुनारी को आधा बिघा भूमि का बेचान किया मेरे पिताजी द्वारा पूर्व में किया गया था जिसकी आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है। उक्त श्री सांवरमल के नाम मैने आधा बिघा भूमि का रजिस्ट्री करवाने के लिये पटवारी से जमाबंदी नकल ली तथा उनसे इस संबंध में वार्ता की तो पटवारी श्री मदनलाल हल्का सुनारी ने कहा कि उक्त खसरे में आपकी भूमि नहीं है। पटवारी ने कहा कि आपके खसरे की शुद्वी कर भूमि को नक्शे के दिखाने के बाद ही आपकी रजिस्ट्री होगी। मैने पटवारी को भूमि नक्शे में दिखाने की कही तो उसने मेरे से 8000 रूपये देने की कही। मै उक्त पटवारी श्री मदनलाल को 8000 रूपये बतौर रिश्वत के देना नहीं चाहता और उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देता हूँ कार्यवाही करें।''एसडी– गणेशाराम पुत्र श्री छोटूराम, उम्र–37 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव सुनारी पुलिस थाना लाडनू जिला नागौर, मोबाईल नम्बर 9772738949 दिनांक 17.01.2022, एसडी–जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 17.01.2022, एसडी–विनोद कुमार दिनांक 25.01.2022, एसडी–सुभाषचन्द दिनांक 25.01.2022

श्री रामनिवास कानि. ने उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि '' गांव सुनारी पहूँच मैने परिवादी से उसके घर पर सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाई। परिवादी ने आरोपी पटवारी से सम्पर्क किया तो आरोपी पटवारी ने परिवादी के घर पर ही आने की कही, जिस पर मै परिवादी के घर में अन्दर की तरफ बैठ गया। आरोपी पटवारी के आने पर परिवादी ने उससे वार्ता की तथा पटवारी के जाने के बाद टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द कर दिया।'' परिवादी ने आईन्दा सम्पर्क कर कार्यालय में उपस्थित होने की कही है। आरोपी पटवारी द्वारा रूपयों के संबंध में रिश्वत की स्पष्ट मांग नहीं करना पाये जाने पर उप अधीक्षक पुलिस ने डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमीरा में रखा। दिनांक 19.01.2022 को समय 7.00 एएम पर श्री रामनिवास कानि. को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड अपनी आलमीरा से निकालकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत देकर रवाना गांव सुनारी किया गया। उसी दिन समय 7.00 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. ने कार्यालय में उपस्थित होकर टेप रिकार्डर उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि ''गांव सुनारी पहूँच मैने परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने आरोपी से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क कर पटवारी को उसके निवास स्थान लाडनू होना बताया, जिस पर हम दोनों गांव सुनारी से रवाना होक लाडनू पहूँचे जहॉ मुख्य बाजार में परिवादी ने आरोपी से सम्पर्क किया तो आरोपी पटवारी ने मुख्य बाजार में पुलिया के पास ही आने की कही, जिस पर मैने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया तथा मै साईड में मुकिम हो गया, कुछ समय बाद पटवारी के आने पर परिवादी ने अपने कार्य के वार्ता की तथा आरोपी पटवारी के जाने के पश्चात परिवादी ने मुझे टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया, जिस पर मैने परिवादी को लाडनू में ही छोडकर सीकर के लिये रवाना हो गया।'' उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से 8000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग किया जाना पाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.01.2022 को 01.00 पीएम पर परिवादी गणेशाराम ने उप अधीक्षक पुलिस से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर दिनांक 25.01.2022 को आरोपी पटवारी के विरूद्व लाडनू पहूँच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने की कही। उप अधीक्षक पुलिस के दिगर राजकार्य में व्यस्त होने के कारण परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.01.2022 एवं 19.01.2022 की वार्ता रिकार्ड है, को मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया जाकर मामलें में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग सीकर से श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुभाषचन्द वरिष्ठ सहायक को तलब किया जाकर दिनांक 25.01.2022 को समय 7.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 25.01.2022 को समय 8.00 एएम पर तलबीदा गवाहान श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुभाषचन्द वरिष्ठ सहायक के उपस्थित कार्यालय आने पर